रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052020-219664
CG-DL-E-29052020-219664

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2020/ज्येष्ठ 8, 1942
No. 181] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2020/JYAISTHA 8, 1942

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2020

तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए अर्हताओं, वेतनमानों, सेवा शर्तों, कैरियर संवर्धन योजनाओं (सीएएस)/प्रोन्नतियों आदि से संबंधित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग में कतिपय मुद्दों/विसंगतियों पर स्पष्टीकरण

फा. सं. 61–3/आरआईएफडी/7वां केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी)/ 2016–17.–अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 (छ), (ज) और (झ) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (i) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है :

I. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ :

(क) इन विनियमों का नाम तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए अर्हताओं, वेतनमानों, सेवा शर्तों, कैरियर संवर्धन योजनाओं (सीएएस)/प्रोन्नतियों आदि से संबंधित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग में कतिपय मुद्दों/विसंगतियों पर स्पष्टीकरण विनियम, 2020 है।

(ख) ये तकनीकी शिक्षा तथा परिषद् द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों और क्षेत्रों को संचालित करने वाली तकनीकी संस्थाओं पर लागू होंगे।

(ग) इन स्पष्टीकरणों को अभातशिप द्वारा जारी दिनांक 01 मार्च, 2019 के मुख्य विनियमों में विनिर्दिष्ट सन्नियमों/दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में पढ़ा जाएगा।

II. सामान्य

अभातशिप को तकनीकी संस्थाओं (डिग्री/डिप्लोमा) में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए संशोधित वेतनमान, सेवा शर्तें और न्यूनतम अर्हताएं विनियम, 2019 पर दिनांक 01 मार्च, 2019 को अभातशिप अधिसूचना सं० 61–1/आरआईएफडी/7वां केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी)/2016–17 द्वारा जारी विनियम के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले कतिपय मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग पर दिनांक 01 मार्च, 2019 की अभातशिप अधिसूचना (डिग्री और डिप्लोमा) के क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं :–

संख्या	मुद्दा	स्पष्टीकरण
1.	डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में कार्यशाला अधीक्षक के पद को अभातशिप की दिनांक 01.03.2019 की अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया है जबकि इसे दिनांक 01.03.2019 की डिग्री अधिसूचना में शामिल किया गया है। कार्यशाला अधीक्षक का पद डिप्लोमा संस्थाओं में विभागाध्यक्ष के पद के समकक्ष होना चाहिए।	अभातशिप की दिनांक 05.03.2010 की अधिसूचना में डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में कार्यशाला अधीक्षक के पद को उर्ध्व संचलन के लिए व्याख्याता के समकक्ष माना गया है। तद्नुसार, डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में कार्यशाला अधीक्षक का पद दिनांक 01.03.2019 की अधिसूचना में व्याख्याताओं के लिए लागू प्रोन्नति के लाभ के लिए व्याख्याता के समकक्ष रहना जारी रहेगा। स्पष्टता के प्रयोजन के लिए, कार्यशाला अधीक्षक के पद के लिए प्रवेश वेतन, स्तर और भर्ती की रीति नीचे तालिका–1 में दिए गए अनुसार होगी। तथापि, इस पात्रता की कार्यात्मक अपेक्षा व्याख्याता की अर्हताओं में समतुल्यता होना है। कार्यशाला अधीक्षक सीधी भर्ती के माध्यम से विभागाध्यक्ष और प्राचार्य के रूप में चयन के लिए भी पात्र होंगे।

तालिका–1
संवर्ग (केडर) संरचना और नियुक्ति की रीति

क्र. सं.	शिक्षण संकाय का पदनाम	प्रवेश वेतन (रु.)	स्तर (लेवल)	नियुक्ति की रीति
1	कार्यशाला अधीक्षक	56,100/–	9क	सीधी भर्ती
2	कार्यशाला अधीक्षक	57,700/–	10	प्रोन्नति/सीधी भर्ती
3	कार्यशाला अधीक्षक (वरिष्ठ मान)	68,900/–	11	प्रोन्नति
4	कार्यशाला अधीक्षक (प्रवरण ग्रेड–I)	79,800/–	12	प्रोन्नति
5	कार्यशाला अधीक्षक (प्रवरण ग्रेड–II)	131,400/–	13क1	प्रोन्नति

2.	डिप्लोमा संस्थाओं में कार्यरत पुस्तकाध्यक्षों के संवर्ग के लिए वेतन, अर्हताएं और प्रोन्नति मार्गों को अभातशिप की दिनांक 01 मार्च, 2019 की अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया है।	यह प्रस्तावित किया गया है कि व्याख्याता और कार्यशाला अधीक्षक की समान संरचनाओं का अनुपालन डिप्लोमा संस्थाओं में पुस्तकाध्यक्षों के संवर्ग के लिए भी किया जाए। तथापि, अर्हताओं प्रशिक्षणों, सेवा के वर्षों की संख्या की अपेक्षा और अन्य मानदण्डों की पूर्ति व्याख्याताओं के समकक्ष ही की जानी अपेक्षित होगी।
3.	सहायक प्रोफेसर के लिए पीएच.डी. डिग्री अर्जित करने पर गैर–संयोजित अग्रिम वेतन–वृद्धि प्रदान करने में विसंगति है। ऐसा कनिष्ठ सहायक प्रोफेसर, जो 01.01.2016 को कार्यभार ग्रहण करता है, उस व्यक्ति से अधिक वेतन प्राप्त करेगा, जिसने 01.01.2016 से पूर्व उससे पहले कार्यभार ग्रहण किया है। इस विसंगति को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।	सीसीएस नियम ऐसी विसंगतियों का निराकरण करेंगे। ऐसे मामलों में, कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी की प्रोन्नति अथवा नियुक्ति की तारीख से वेतन उन्नयन (स्टेपिंगअप) किया जाना चाहिए तथा यह निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :
	(क) कनिष्ठ और वरिष्ठ, दोनों ही सरकारी सेवक समान संवर्ग से संबंधित होने चाहिए तथा वे पद, जिन पर उन्हें प्रोन्नति दी गई है, समान संवर्ग में समरूप होने चाहिएं।	
	(ख) निम्न और उच्च पदों के वेतन मेट्रिक्स में स्तर, जिनमें वे वेतन आहरित करने के हकदार हैं, समरूप होने चाहिएं।	
	(ग) विसंगति सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के नियम 13, के साथ पठित मूल नियम 22 (I)(क)(1) के उपबंधों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः उत्पन्न हुई हो। उदाहरण के लिए, यदि कनिष्ठ अधिकारी विद्यमान वेतन संरचना में उसे दी गई किसी अग्रिम वेतन–वृद्धि के कारण वरिष्ठ की तुलना में अधिक वेतन आहरित कर रहा हो, तो इस उप–नियम के उपबंधों को वरिष्ठ अधिकारी के	

	वेतन में वृद्धि करने के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए। (डीओपीटी पत्र सं. 4/3/2017–स्था. (वेतन–I) दिनांक 26 अक्टूबर, 2018)	
4.	वेतन मेट्रिक्स तालिका (डिप्लोमा संस्थाओं के लिए) में प्रकोष्ठ (सैल); सं० 20 और उससे आगे के आंकडे वेतन में 3 प्रतिशत की दर से वृद्धि नहीं करते हैं।	डिप्लोमा संस्थाओं के लिए वेतन मेट्रिक्स तालिका को संशोधित कर दिया गया है तथा उसे अनुबंध–I के रूप में संलग्न किया गया है।
5.	अधिसूचना (डिप्लोमा) की धारा 2.4 में, वेतन–वृद्धियों के युग्मन का लाभ विद्यमान नहीं है।	युग्मन का लाभ डिप्लोमा स्तरीय संकाय तक विस्तारित किया जा सकता है। डिप्लोमा शिक्षकों के लिए धारा 2.4 निम्नानुसार लागू होगी :
	2.4 वेतन मेट्रिक्स और संशोधित वेतन का नियतन वेतन मेट्रिक्स में 01 जनवरी, 2016 को किसी कर्मचारी के वेतन का नियतन करने के लिए 31 दिसम्बर, 2015 को संशोधन पूर्व संरचना में विद्यमान वेतन (वेतन बैंड में वेतन + शैक्षणिक ग्रेड वेतन) को 2.57 के कारक से गुणा किया जाएगा, उसे निकटतम रूपये तक पूर्णांकित किया जाएगा, और इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या को वेतन मेट्रिक्स में उस स्तर में देखा जाएगा तथा यदि ऐसी कोई समान संख्या वेतन मेट्रिक्स के लागू स्तर में किसी सैल के समनुरूपी होती है, तो वह वेतन होगा, और यदि लागू स्तर में ऐसा कोई सैल उपलब्ध नहीं है, तो वेतन का नियतन वेतन मेट्रिक्स के उस लागू स्तर में तत्काल आगामी उच्च सैल में किया जाएगा। यदि इस प्रकार परिकलित संख्या उस स्तर में प्रथम सैल से कम है, तो वेतन का नियतन वेतन मेट्रिक्स के उस स्तर के प्रथम सैल पर किया जाएगा। वेतन संशोधन के ऐसे मामलों में ,जहां संशोधन पूर्व -वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान, जैसा भी मामला हो में, ,सरकारी कर्मचारी का वेतन, दो या अधिक चरणों में(स्टेजों)वेतन आहरित किया जाता है,तो " नए वेतन मैट्रिक्स में उसके वेतन का नियतन लागू सेल में उसी समान स्तर पर किया जाएगा।प्रत्येक दो चरणों के युग्मन के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी संशोधनपूर्व -,संरचना में उच्च वेतन आहरित करने वाले सरकारी कर्मचारी का वेतन व्यय विभाग ,वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-6 / 2016-IC दिनांक :7 सितंबर, 2016"के अनुसार लागू स्तर में अगले ऊर्ध्वाधर सेल में नियत किया जाएगा।	
6.	प्रोन्नति के मामले में वेतन नियतन डिग्री अधिसूचना में शामिल किया गया है, जबकि उसे डिप्लोमा अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया है। इसे डिप्लोमा अधिसूचना में भी शामिल किया जाए।	सीधी भर्ती/प्रोन्नति के मामले में वेतन नियतन से संबंधित दिनांक 01. 03.2019 (डिग्री) की अभातशिप अधिसूचना का पैरा 2.7 डिप्लोमा संस्थाओं के लिए लागू होगा जिसे नीचे पुनः उद्धृत किया गया है। सीधी भर्ती/प्रोन्नति के मामले में वेतन नियतन : 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हुए कर्मचारियों को वेतन उस पद, जिसमें ऐसा कर्मचारी नियुक्त हुआ है, के लिए लागू स्तर में न्यूनतम वेतन अथवा प्रथम सैल में नियत किया जाएगा। प्रोन्नति के मामले में, कर्मचारी को उस स्तर पर आगामी उच्च सैल में ले जाते हुए उसके विद्यमान वेतन स्तर में एक कल्पित वेतन–वृद्धि दी जाएगी। इस सैल में दर्शाया गया वेतन उस पद, जिस पर कर्मचारी को प्रोन्नत किया गया है, के समनुरूपी नए स्तर में तलाशा जाएगा। यदि उस वेतन के समकक्ष सैल उस नए स्तर में उपलब्ध है, तो वह सैल नया वेतन होगा, अन्यथा उस स्तर में आगामी उच्च सैल कर्मचारी का नया वेतन होगा। यदि इस प्रकार

		परिकलित वेतन नए स्तर में प्रथम सैल से कम है, तो वेतन का नियतन उस स्तर के प्रथम सैल में किया जाएगा।
7.	पॉलीटैक्निक संकाय सदस्यों के पदनामों की नामावली में परिवर्तन किए जाने के बारे में विचार जैसे सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर आदि। अभातशिप की दिनांक 01.03.2019 की अधिसूचना इस मुद्दे पर मौन है।	जी नहीं
8.	ऐसे संकाय सदस्यों को सीएएस का लाभ प्रदान करने के लिए एफडीपी, औद्योगिक प्रशिक्षण, 360^0 की फीडबैक अंकों से छूट प्रदान करना जो अपयोजित (डाईवर्टिड) क्षमता में कार्य कर रहे हैं क्योंकि इसे अभातशिप की दिनांक 01.03.2019 की अधिसूचना (डिग्री/डिप्लोमा) के पैरा 6.6 में शामिल नहीं किया गया है।	एफडीपी, औद्योगिक प्रशिक्षण तथा 360^0 फीडबैक और शोध प्रकाशन के संदर्भ में छूट अपयोजित (डाईवर्टिड) क्षमता में 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कार्य करने वाले संकाय सदस्यों के लिए प्रदान की जा सकती है, तथापि इसके लिए एसीआर में निरंतर "बहुत अच्छा" श्रेणी आवश्यक है।
9.	अभातशिप की दिनांक 01 मार्च, 2019 की अधिसूचना के खंड 1. 4 (ग) और 1.4 (ध) एक–दूसरे के विपरीत हैं तथा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत सीएएस प्रोन्नति के लिए पात्रता की निर्णायक तारीख के बारे में भ्रम की स्थिति है।	अभातशिप अधिसूचना के खंड 1.4 (ध) का लोप किया जाना चाहिए।
10.	क्या होटल प्रबन्धन एवं खानपान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी) में तीन–वर्षीय स्नातक डिग्री रखने वाले उम्मीदवार शिक्षण पद के लिए पात्र हैं ?	होटल प्रबन्धन एवं खानपान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी) में तीन–वर्षीय स्नातक डिग्री की अर्हता तथा अभातशिप की दिनांक 01 मार्च, 2019 की राजपत्र अधिसूचना में यथाउल्लिखित अन्य अर्हताएं और अनुभव रखने वाले उम्मीदवार/पदधारी भर्ती तथा सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ पात्र हैं बशर्ते कि उम्मीदवार की अभातशिप की दिनांक 01 मार्च, 2019 की अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व होटल प्रबन्धन एवं खानपान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी) में 03 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश की पुष्टि हो गई हो तथा प्रवेश के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हों। तथापि, अन्य सभी मामलों में, अभातशिप की दिनांक 01 मार्च, 2019 को राजपत्र में जारी अधिसूचना में प्रकाशित अर्हताओं का अवलोकन करें।
11.	विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के पद के लिए चयन समिति की संरचना क्या होगी ?	विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, ऐसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के पद के लिए प्रोन्नति तथा सीधी भर्ती के लिए चयन समिति की संरचना वही होगी जैसाकि दिनांक 01 मार्च, 2019 की राजपत्र अधिसूचना के पृष्ठ 42 में अनुबंध–II के खंड–I (क) में उल्लेख किया गया है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा :–
	I. विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों के लिए : (क) विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति तथा सीधी भर्ती के लिए चयन समिति की संरचना निम्नवत् होगी : (i) कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति चयन समिति का अध्यक्ष होगा। (ii) संबंधित विषय में तीन विशेषज्ञ जिनका नामनिर्देशन कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयय के प्रासंगिक सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से किया जाएगा। (iii) संबंधित संकाय का डीन, जहां लागू हो। (iv) विभाग/विद्यालय का प्रमुख/अध्यक्ष। (v) विजिटर/कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिशित कोई शिक्षाविद्, जहां लागू हो। (vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांगजन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षाविद् जिसका नामनिर्देशन कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा किया जाएगा: यदि इन श्रेणियों से संबंधित कोई उम्मीदवार आवेदक है और यदि चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी उस श्रेणी से संबंधित नहीं है। (ख) बैठक के लिए गणपूर्ति गठित करने के प्रयोजनार्थ न्यूनतम पांच सदस्य अपेक्षित होंगे जिनमें से कम–से–कम दो सदस्य कुल तीन विषय–विशेषज्ञों में से अवश्य होने चाहिए।	

12.	वरिष्ठ प्रोफेसर के पद में प्रोन्नति के लिए एक अपेक्षा यह है कि कम–से–कम एक पेटेंट प्राप्त होना चाहिए अथवा राष्ट्रीय प्लेटफार्म पर कम–से–कम एक एमओओसी पाठ्यक्रम तैयार किया होना चाहिए। तथापि यह स्पष्ट नहीं है कि वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु संयुक्त रूप से एमओओसी विकसित करने वाले संकाय सदस्यों में से प्रत्येक संकाय के लिए क्रेडिट/वेटेज का वितरण क्या होगा।	जिनके नाम पर पेटेंट नहीं है, उनके पास राष्ट्रीय प्लेटफार्म पर एमओओसी पाठ्यक्रम विकसित करने का विकल्प मौजूद है। यह स्पष्ट किया जाता है कि 2 शिक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एमओओसी स्वीकार्य है तथा संयुक्त रूप से पाठ्यक्रम विकसित करने वाले संकाय में प्रत्येक को पूर्ण क्रेडिट/वेटेज प्रदान किया जाएगा यदि उन्होने स्वतंत्र रूप से न्यूनतम 20 घंटे का एमओओसी विकसित किया है।
13.	क्या शिक्षकों के लिए यह विकल्प उपलब्ध है कि वे या तो विद्यमान नियमों के अंतर्गत प्रोन्नति लेने का विकल्प चुने अथवा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार जैसाकि अभातशिप द्वारा 01 मार्च, 2019 को प्रकाशित किया गया है ?	इन विनियमों के अंतर्गत प्रोन्नतियों के लिए निर्धारित मानदंड इन विनियमों की तारीख से प्रभावी होंगे। तथापि, ऐसे संकाय सदस्यों को होने वाली कठिनाई का निराकरण करने के लिए जो पहले से ही अर्हक हैं अथवा विद्यमान विनियमों के अंतर्गत शीघ्र ही अर्हक होने वाले हैं, उन्हें एक विकल्प दिया जा सकता है कि विद्यमान विनियमों के अंतर्गत उन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाए। इस विकल्प का प्रयोग डिग्री और डिप्लोमा, दोनों ही के शिक्षकों द्वारा किया जा सकता है, परंतु इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से केवल तीन वर्ष के भीतर ही।
14.	अभातशिप की दिनांक 01 मार्च, 2019 को प्रकाशित अधिसूचना में डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं के संबंध में वेतन मेट्रिक्स तालिका में पहले से ही 10000 एजीपी में वेतन आहरित करने वाले प्राचार्यों तथा अन्य संकाय सदस्यों के वेतन नियतन के कोई कॉलम विद्यमान नहीं है।	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई वेतन मेट्रिक्स तालिका के उपयुक्त कॉलमों का प्रयोग किया जाए।

अस्वीकरण : अधिसूचना की भाषा

अधिसूचना अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई हैं। यद्यपि अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय अत्यंत सावधानी बरती गई है। तथापि व्याख्या में किसी प्रकार की विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

प्रो. राजीव कुमार, सदस्य सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./38/2020–21]

अनुबंध–**I**

डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं के लिए वेतन मैट्रिक्स तालिका (संशोधित)

वेतन मैट्रिक्स (सभी संख्याएं रूपए में हैं)						
वेतन बैंड **VI** केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी)		**15600-39100**				**37400-67000**
संवर्ग शीर्षक **VII** केन्द्रीय वेतन आयोग		व्याख्याता	व्याख्याता	व्याख्याता (वरिष्ठ मान)	व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड–**I**)	व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड–**II**)/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य
शैक्षणिक ग्रेड वेतन– **VI** केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी)		**5400**	**6000**	**7000**	**8000**	**9000**
प्रवेश वेतन		**21000**	**21600**	**25790**	**29900**	**49200**
सैल (प्रकोष्ठ) सं० ↓	स्तर →	**9क**	**10**	**11**	**12**	**13क1**
1.		56100	57700	68900	79800	131400
2.		57800	59400	71000	82200	135300
3.		59500	61200	73100	84700	139400
4.		61300	63000	75300	87200	143600
5.		63100	64900	77600	89800	147900
6.		65000	66800	79900	92500	152300
7.		67000	68800	82300	95300	156900
8.		69000	70900	84800	98200	161600

9.	71100	73000	87300	101100	166400
10.	73200	75200	89900	104100	171400
11.	75400	77500	92600	107200	176500
12.	77700	79800	95400	110400	181800
13.	80000	82200	98300	113700	187300
14.	82400	84700	101200	117100	192900
15.	84900	87200	104200	120600	198700
16.	87400	89800	107300	124200	204700
17.	90000	92500	110500	127900	210800
18.	92700	95300	113800	131700	217100
19.	95500	98200	117200	135700	
20.	98400	101100	120700	139800	
21.	101400	104100	124300	144000	
22.	104400	107200	128000	148300	
23.	107500	110400	131800	152700	
24.	110700	113700	135800	157300	
25.	114000	117100	139900	165000	
26.	117400	120600	144100	166900	
27.	120900	124200	148400	171900	
28.	124500	127900	152900	177100	
29.	128200	131700	157500	182400	
30.	132000	135700	162200	187900	
31.	136000	139800	167100	193500	
32.	140100	144000	172100	199300	
33.	144300	148300	177300	205300	
34.	148600	152700	182600	211500	
35.	153100	157300	188100		
36.	157700	162000	193700		
37.	162400	166900	199500		
38.	167300	171900	205500		
39.	172300	177100			
40.	177500	182400			

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2020

Clarifications on Certain Issues/Anomalies in 7th CPC pertaining to Qualifications, Pay Scales, Service Conditions, Career Advancement Schemes (CAS)/promotions etc. for Teachers and other Academic Staff of Technical Institutions (Degree/Diploma)

F. No. 61-3/RIFD/7th CPC/2016-17.—In exercise of the powers conferred under sub-section (i) of Section 23 read with Section 10 (g), (h) and (i) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education makes the following regulations:

1. Short title, Applications and Commencement:

(a) These Regulations may be called All India Council for Technical Education Clarifications on certain issues / anomalies in 7th CPC pertaining to Qualifications, Pay Scales, Service Conditions Career Advancement Schemes(CAS)/promotions etc. for Teachers and other Academic Staff of Technical Institutions

(Degree/Diploma), 2020.

(b) These shall apply to Technical Institutions conducting technical educations and such other courses/programs and area notified by the Council from time to time.

(c) These clarifications may be read in continuation of the norms / guidelines prescribed in the main Regulations dated 1st March 2019 issued by AICTE.

II. General

AICTE had received several representations seeking clarifications on certain issues arising out of the implementation of AICTE Regulations No. 61-1/RIFD/7th CPC/2016-17 dated 1st March 2019 on revised Pay Scales, Service Conditions and Minimum Qualifications for the Teachers and other Academic Staff in Technical Institutions (Degree & Diploma) Regulations, 2019.

Clarifications on the issues arising out of implementation of 7th CPC AICTE Notification dated 1st March 2019 (Degree & Diploma) are given below:

Sr. No.	Issue	Clarification
1.	The post of workshop superintendent in Diploma level institutions is not included in AICTE Notification dated 01.03.2019 whereas the same has been included in degree notification dated 01.03.2019. The post of Workshop Superintendent should be at par with the Head of Department at Diploma Institution.	AICTE notification dated 05.03.2010 has treated workshop superintendents in diploma level institutions at par with Lecturers for upward mobility. Accordingly, the post of workshop superintendents in diploma level institutions will continue to be at par with Lecturers for the benefits of promotion applicable to Lecturers in the Notification dated 01.03.2019. For the purpose of clarity, the entry pay, levels and mode of recruitment for the post of workshop superintendent is as given in the Table-1 below. However, the fundamental requirement of this entitlement is the parity in the qualifications with those of lecturers. Workshop Superintendents shall also be eligible to be selected as HoD and Principals through direct recruitment.

TABLE - 1
Cadre Structure and Mode of Appointment

Sr. No.	Designations of Teaching Faculty	Entry Pay (Rs.)	Level	Mode of Appointment
1	Workshop Superintendent	56,100/-	9A	Direct Recruitment
2	Workshop Superintendent	57,700/-	10	Promotion / Direct Recruitment
3	Workshop Superintendent (Senior Scale)	68,900/-	11	Promotion
4	Workshop Superintendent (Selection Grade-I)	79,800/-	12	Promotion
5	Workshop Superintendent (Selection Grade-II)	131,400/-	13A1	Promotion

2.	Pay, qualifications and promotion channel for a cadre of librarians working in Diploma Institutions are not included in the AICTE notification dated 1st March 2019.	It is proposed that the similar structure as that of lecturer and workshop superintendent be followed for the cadre of Librarians in Diploma Institutions. However, the requirement of qualifications, trainings, number of years of service and other criteria will be required to be met at par with lecturers.
3.	There is a discrepancy in the grant of non-compounded advance increment on acquiring Ph.D. Degree for Assistant Professor. The Junior Assistant Professor who joins after 01.01.2016 will get a higher salary than the person who joined earlier than him before 01.01.2016. This discrepancy needs to be removed.	CCS Rules take care of such anomaly. In such cases the stepping up should be done with effect from the date of promotion or appointment of the junior Government servant and will be subject to the following conditions, namely:
	(a) Both the junior and the senior Government servants should belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted are identical in the same cadre; (b) The level in the Pay Matrix of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay should be identical. (c) The anomaly is directly as a result of the application of the provisions of Fundamental Rule 22(I)(a)(1) read with rule 13 of CCS (RP) Rules, 2016. For example, if the junior officer was drawing more pay in the existing pay structure than the senior by virtue of any advance increments granted to him, the provisions of this sub-rule should not be invoked to step up the pay of the senior officer." **(DoPT letter no. 4/3/2017-Estt. (Pay-I) dated 26th October, 2018.**	
4.	In pay matrix table (for Diploma institutions) the figures from cell No. 20 onwards does not increase @ 3% in pay.	The pay matrix table for Diploma institutions has been amended and the same is enclosed as Annexure-I.
5.	In Section 2.4 of the Notification (Diploma), the advantage of bunching of increments is missing.	The benefit of bunching may be extended to diploma level faculty. Section 2.4 for Diploma teachers will be applicable as below.
	2.4 Pay Matrix and Fixation of Revised Pay For Fixation of pay of an Employee in the Pay Matrix as of 1st January 2016, the existing pay (Pay in Pay Band plus Academic Grade Pay) in the pre-revised structure as on 31st December, 2015 shall be multiplied by a factor of 2.57, rounded off to the nearest Rupee. The figure so arrived at, will be located at that level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any cell in the applicable level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such cell is available in the applicable level, the pay shall be fixed in the immediate next higher cell in that applicable level of the Pay Matrix. If the figure arrived at in this manner is less than the first cell on that level, then the pay shall be fixed at the first cell on that level of Pay Matrix. In cases where in revision of pay, the pay of Government Servant drawing pay at two or more stages in pre-revised Pay Band and Grade Pay or scale, as the case may be, get fixed at same Cell in the applicable Level in the new Pay Matrix, one additional increment shall be given for every two stages bunched and the pay of Government Servant drawing higher pay in the pre –revised structure shall be fixed at the next vertical cell in the applicable level as per Ministry of Finance, Department of Expenditure OM No. 1-6/2016-IC dated 7th September 2016.	
6.	Pay fixation in case of promotion is included in the degree notification, whereas the same is not included in Diploma notification. This may be included in Diploma notification also	Para 2.7 of AICTE Notification dated 01.03.2019 (Degree) dealing with pay fixation in case of direct recruitment/ promotion shall be applicable to diploma institutions which is reproduced below. **Pay Fixation in the case of Direct Recruitment / Promotion:**

		The pay of employees appointed by direct recruitment on or after the 1st day of January 2016 shall be fixed at the minimum pay or the first cell in the level, applicable to the post to which such employee is appointed. In case of promotion, the candidate would be given a notional increment in his existing Level of Pay, by moving him/her to the next higher cell at that level. The pay shown in this cell would now be located in the new level corresponding to the post to which candidate has been promoted. If a cell identical with that pay is available in the new level, that cell shall be the new pay; otherwise the next higher cell at that level shall be the new pay of the employee. If the pay arrived at in this manner is less than the first cell in the new level, then the pay shall be fixed on the first cell of that level.
7.	Consideration regarding change of nomenclature of designation of Diploma faculty as an Assistant Professor, Associate Professor and Senior Associate Professor etc. The AICTE notification dated 01.03.2019 is silent on this issue.	No.
8.	To accord relaxation of FDP, industrial training, 360° feedback scores for granting of CAS benefits for those faculty members who are working in diverted capacity as this has not been included in para 6.6 of AICTE Notification dated 01.03.2019 (Degree/Diploma).	Relaxation in terms of FDP, Industrial training and 360° feedback and research publication requirement may be extended for faculty members working in diverted capacity for not more than a period of 3 years. However, having ACRs consistently above "Very Good" is necessary.

9.	The Clauses 1.4 (c) and 1.4 (d) of AICTE Notification dated 1st March 2019 are contradictory to each other and there is confusion about the crucial date of eligibility for CAS promotion under 6th CPC.	The clause 1.4 (d) of AICTE notification should be deleted.
10.	Whether the candidate having three years Bachelor degree in HMCT is eligible for the teaching post?	The candidates / incumbents having qualification of three years Bachelor degree in HMCT along with the other qualifications and experience as mentioned in the AICTE Gazette Notification dated 1st March 2019 are eligible for the purpose of recruitment and promotion under CAS provided that the candidate has confirmed admission in 3 years Bachelor's programme in HMCT before publication of AICTE notification dated 1st March 2019 and produce an evidence of this admission. However, in all other cases qualifications published in AICTE Gazette dated 1st March 2019 shall be referred.
11.	What will be the constitution of the selection committee for the post of Assistant Professor, Associate Professor and Professor at University ?	The composition of the selection committee for promotion as well as direct recruitment to the post of Assistant Professor, Associate Professor and Professor at University will be same as mentioned in Annexure-II, clause-I(a) at page 42 of Gazette Notification dated 1st March 2019. It may now be read as below:
	I. For University Faculty Members: (a) The Selection Committee for promotion as well as direct recruitment to the post of Assistant Professor, Associate Professor and Professor in the University shall have the following composition:	

	(i) The Vice Chancellor or Acting Vice-Chancellor to be the Chairperson of the Selection Committee. (ii) Three experts in the concerned subject nominated by the Vice Chancellor or Acting Vice Chancellor out of the panel of names approved by the relevant statutory body of the university concerned. (iii) Dean of the concerned Faculty, wherever applicable. (iv) Head / Chairperson of the Department / School (v) An academician nominated by the Visitor / Chancellor, wherever applicable. (vi) An academician representing SC / ST / OBC / Minority / Women / Differently-abled categories to be nominated by the Vice Chancellor or Acting Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is the applicant and if any of the above members of the selection committee does not belong to that category. (b) To constitute the quorum for the meeting, minimum five members out of which at least two must be from out of the three subject-experts.	
12.	For promotion to the post of Senior Professor, one of the requirements is to have at least one patent awarded OR development of at least one MOOC course on a national platform. However, it is not clear as to what will be the distribution of credits / weightages to individual faculty members developing MOOCs jointly for their consideration of promotion as Senior Professor.	Those who do not have patent in their name have an option of developing a MOOCs course on a national platform. It is clarified that, MOOCs jointly developed by 2 teachers is acceptable and each of the faculties developing a course jointly will get full credit / weightage if they develop a minimum of 20 hrs of MOOCs independently.
13.	Is the option for teachers available to either choosing to take promotion under the existing rules or as per the provisions in the notification under 7th CPC as published by AICTE on 1st March 2019?	The criteria for promotions laid down under these Regulations shall be effective from the date of notification of these Regulations. However, to avoid hardship to those faculty members who have already qualified or are likely to qualify shortly under the existing regulations, a choice may be given to them, for being considered for promotions under the existing Regulations. This option can be exercised by Degree and Diploma teachers, both but only within three years from the date of notification of these Regulations.
14.	There is no column existing in the Pay Matrix Table in respect of Diploma Level Technical Institutions as published in AICTE notification dated 1st March 2019 for fixing the Pay of Principals and other faculty members already drawing the pay in the AGP of 10000. Please suggest the table.	An appropriate column of the pay matrix table presented by 7th CPC for central government employees may be used.

Disclaimer: Notification Language

The notification is published in English and Hindi languages. Utmost care is taken to translate notification from English to Hindi. However, in case of any kind of discrepancy in interpretation, English version shall prevail.

Prof. RAJIVE KUMAR, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty/38/2020-21]

ANNEXURE-I

Pay Matrix Table for Diploma Level Technical Institutions (Amended)

PAY MATRIX						
(All figures are in Rupees)						
Pay Band VI CPC		15600-39100				37400-67000
Cadre Title VII CPC		Lecturer	Lecturer	Lecturer (Senior scale)	Lecturer (Selection Grade-I)	Lecturer (Selection Grade-II) / HoD / Principal
Academic Grade Pay - VI CPC		5400	6000	7000	8000	9000
Entry Pay		21000	21600	25790	29900	49200
Cell No.↓	Level →	9A	10	11	12	13A1
1.		56100	57700	68900	79800	131400
2.		57800	59400	71000	82200	135300
3.		59500	61200	73100	84700	139400
4.		61300	63000	75300	87200	143600
5.		63100	64900	77600	89800	147900
6.		65000	66800	79900	92500	152300
7.		67000	68800	82300	95300	156900
8.		69000	70900	84800	98200	161600
9.		71100	73000	87300	101100	166400
10.		73200	75200	89900	104100	171400
11.		75400	77500	92600	107200	176500
12.		77700	79800	95400	110400	181800
13.		80000	82200	98300	113700	187300
14.		82400	84700	101200	117100	192900
15.		84900	87200	104200	120600	198700
16.		87400	89800	107300	124200	204700
17.		90000	92500	110500	127900	210800
18.		92700	95300	113800	131700	217100
19.		95500	98200	117200	135700	
20.		98400	101100	120700	139800	
21.		101400	104100	124300	144000	
22.		104400	107200	128000	148300	
23.		107500	110400	131800	152700	
24.		110700	113700	135800	157300	
25.		114000	117100	139900	165000	
26.		117400	120600	144100	166900	
27.		120900	124200	148400	171900	
28.		124500	127900	152900	177100	
29.		128200	131700	157500	182400	
30.		132000	135700	162200	187900	
31.		136000	139800	167100	193500	
32.		140100	144000	172100	199300	
33.		144300	148300	177300	205300	
34.		148600	152700	182600	211500	
35.		153100	157300	188100		
36.		157700	162000	193700		
37.		162400	166900	199500		
38.		167300	171900	205500		
39.		172300	177100			
40.		177500	182400			

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.05.29 22:46:15 +05'30'